

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 101/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2020  
24 आश्विन, शक 1942

का. आ.... (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

सारणी में, भूटान सीमांत भूमि से संबंधित क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (4) की संबंध में कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			(क) भारत के जयगांव बाजार को भूटान के फूएंटसोलिंग को जोड़ने वाली सड़क; और (ख) भारत के टोरसा टी गार्डन को भूटान के आहले को जोड़ने वाला ऐशियन हाईवे 48

(फाइल संख्या 554/01/2018-एलसी)

(बुलो मामु)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 15 जनवरी, 2020, जिसे का.आ. 208(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।